राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009 पार्ट–3 जयपुर, दिनांक :– 06 MAR 2019

अधिसूचना

एकीकृत भवन विनियम–2017 के विनियम 7.2 के तहत् गठित एक्सपर्ट कमेटी की अभिशंषा के अनुसार इन विनियमों के विनियम 7.1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात राजस्थान एकीकृत भवन विनियम–2017 के विनियम 8.11.6 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः–

"8.11.6 ग्रीन बिल्डिंग प्रोत्साहनः–

(क) ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किये जाने पर मानक गणना योग्य निर्मित क्षेत्र (BAR)के अतिरिक्त निम्नानुसार गणना योग्य निर्मित क्षेत्र (BAR) निःशुल्क (बिना बेटरमेंट लेवी) देय होगाः–

(i)	प्लेटिनम रेटेड अथवा समतुल्य श्रेणी के प्रमाणित भवन हेतु	- 0.15 BAR
(ii)	गोल्ड रेटेड अथवा समतुल्य श्रेणी के प्रमाणित भवन हेतु	- 0.10 BAR
(iii)	सिल्वर रेटेड अथवा समतुल्य श्रेणी के प्रमाणित भवन हेतु	-0.075 BAR

उक्तानुसार देय मानक BAR एवं ग्रीन विल्डिंग हेतु निःशुल्क BAR के अतिरिक्त BAR प्रस्तावित होने पर नियमानुसार बैटरमेंट लेवी देय होगी।

(ख) अतिरिक्त गणना योग्य निर्मित क्षेत्र निःशुल्क (बिना बेटरमेंट लेवी) निम्न शर्तो की पूर्ति किये जाने पर देय होगीः–

(i) प्रश्नगत भवन को लीडरशिप इन एनर्जी एण्ड एन्वायरमेंटल डिजायन (LEED)/IGBC/GRIHA द्वारा प्लेटिनम/गोल्ड/सिल्वर अथवा समतुल्य श्रेणी हेतु प्रमाणित किये जाने/रेटिंग दिये जाने पर ही अनुज्ञेय होगा।

(ii) ब्यूरों ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी, भारत सरकार द्वारा एनर्जी एफिशियन्सी के प्रावधानों के लिए प्रश्नगत भवन की अनुशंषा की गई हो।

(iii) ग्रीन बिल्डिंग हेतु भवन मानचित्र अनुमोदित किये जाने के समय अतिरिक्त निःशुल्क गणना योग्य निर्मित क्षेत्र के समतुल्य राशि भवन निर्माता द्वारा नगरीय निकाय में अमानत राशि के रूप में जमा करवाई जानी होगी। प्रश्नगत भवन हेतु पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा नगरीय निकाय में प्लेटिनम/गोल्ड/सिल्वर अथवा समतुल्य श्रेणी हेतु जारी सर्टिफिकेट को प्रस्तुत करने पर ही इस संबंध में जमा कराई गई अमानत राशि को नगरीय निकाय द्वारा लौटाया जाना होगा।

आज्ञा से

(कन्हैयालाल स्वामी)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

क्रमांक प.10(7)नविवि/3/2009 पार्ट–3 जयपुर, दिनांक :-- 6 MAR 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक(एन.सी.आर), राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. सचिव,जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
11. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कर प्रकाशित अंक की एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम